# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

**(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.**

---

**प्र.सं. 11/2023**
**जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/21**
**उम्मेद सिंह, निवासी वार्ड नं. 1 दुर्गा मन्दिर के पास, अनूपगढ़**

**बनाम**

**लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़**

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन दिनांक 17.06.2022 को प्रेषित किया था। तहसीलदार अनूपगढ़ का पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/397 दिनांक 28.06.2022 प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं कोई गोपनीय सूचनाएं नहीं हैं, यह सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2(जे)(2) के अन्तर्गत आती हैं। प्रार्थ को कोर्ट कार्यवाही हेतु इन सूचनाओं की आवश्यक्ता हैं। सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ से टिप्पणी प्राप्त की गयी। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/रीडर/23/1393 दिनांक 06.12.2023 के अनुसार आवेदक के द्वारा तहसील कार्यालय में कार्यरतः श्री नवीन स्वामी सहायक प्रोग्रामर को मकान किराया भत्ता भुगतान करने संबंधि सूचना चाई गई थी। वांछित सूचना की प्रकृति कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया था। तहसीलदार द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील पेश की गई थी। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक/राजस्व/2023/1472 दिनांक 29.12.2023 के द्वारा द्वितीय अपील सं. आरआईसी/एसजीएनजी/ए/2023/100010 उम्मेद सिंह बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व तहसील अनूपगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी की अपील इस आधार पर खारिज की हैं कि वांछित सूचना परपक्ष की हैं। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में व्यापक लोक हित प्रकट नहीं किया गया हैं। चाही गई सूचना का लोक क्रियाकलाप से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता हैं। वांछित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यापक लोकहित प्रकट किये बिना देय नहीं हैं।

चूंकि प्रकरण में द्वितीय अपील में निर्णय पारित हो चुका हैं अतः प्रथम अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। माननीय राज्य लोक सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय अपील खारिज की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:20 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

नम्बर ... अविलम्ब ... हुक्म की तामील ... जारी किये गये